vinetur

भारतीय सीमा शुल्क के वर्गीकरण से स्कॉच व्हिस्की की कुछ खेपों पर 150% शुल्क का खतरा

पात्र आयात पर 75% शुल्क का सरकारी प्रावधान है, लेकिन विवादित वर्गीकरण अब भी तय कर रहे हैं कि थोक खेपें इसके पात्र हैं या नहीं

सोमवार, 16 नवंबर 2026



भारत में आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसकी वजह शुल्क में हाल ही में घोषित कोई बदलाव नहीं, बल्कि सीमा शुल्क वर्गीकरण है, जो अब भी तय कर रहा है कि कुछ खेपें कम शुल्क दर के पात्र हैं या नहीं।

व्हिस्की उद्योग पर केंद्रित डिजिटल प्रकाशन Whisky Clan ने 14 नवंबर की समीक्षा में कहा कि विवाद कुछ थोक स्कॉच व्हिस्की खेपों पर लागू हो सकने वाली दो शुल्क दरों के बीच बड़े अंतर को लेकर है। एक दर 75% है, जो पात्र आयात के लिए बताई गई तरजीही दर है। दूसरी 150% है, जिसकी मांग कुछ मामलों में सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने की है। समीक्षा में किसी अंतिम समाधान की जानकारी नहीं दी गई।

यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि इससे भारत में व्हिस्की लाने की लागत में बड़ा बदलाव हो सकता है। दोनों दरों के बीच 75 प्रतिशत अंक का अंतर है। समान सीमा शुल्क मूल्य पर 150% का शुल्क, 75% शुल्क की तुलना में कर का बोझ दोगुना कर देगा। इसका यह मतलब नहीं कि खुदरा कीमत भी अपने आप दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अंतिम कीमत लॉजिस्टिक्स, स्थानीय करों, बोतलबंदी, वितरण और खुदरा मार्जिन पर भी निर्भर करती है। लेकिन आयातकों और निर्यातकों के लिए यह अंतर इतना बड़ा है कि इससे यह तय हो सकता है कि कोई खेप व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रहेगी या नहीं।

इस मुद्दे को 14 नवंबर को अपनाई गई किसी व्यापक नई नीति के रूप में पेश नहीं किया गया है। इसके बजाय, यह इस बारे में पहले से जारी विवाद का विस्तार है कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी कुछ वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं और क्या वे वस्तुएं तरजीही व्यवहार की शर्तें पूरी करती हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। व्यापार समझौते और आधिकारिक दिशानिर्देश सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध शुल्क रियायत बता सकते हैं, लेकिन सीमा पर किसी खेप का वर्गीकरण और व्यवहार में उसकी पात्रता सीमा शुल्क अधिकारी तय करते हैं।

यू.के. के Department for Business and Trade की business.gov.uk पर प्रकाशित मार्गदर्शिका के अनुसार, भारत में पात्र व्हिस्की आयात पर शुल्क 150% से घटाकर 75% किया गया है, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से 40% तक कम किया जाएगा। हालांकि, यह मार्गदर्शिका अपने आप में सीमा शुल्क के अलग-अलग मामलों का निपटारा नहीं करती। ब्रिटिश विभाग बाजार पहुंच से जुड़ी वार्ताओं और निर्यातकों को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह तय नहीं करता कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी किसी खास खेप का वर्गीकरण कैसे करेंगे।

इससे निर्यातकों के सामने एक व्यावहारिक समस्या खड़ी होती है। तरजीही व्यवस्था कागज पर मौजूद होने के बावजूद, कंपनियों को यह भरोसा चाहिए कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी उनके उत्पाद विवरण, खेप के स्वरूप और सहायक दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे। यदि सीमा शुल्क जांचकर्ताओं का तर्क है कि कोई खेप अपेक्षित वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती, तो उस पर 75% के बजाय 150% की ऊंची दर लागू हो सकती है। थोक स्कॉच व्हिस्की के मामले में, जहां परिवहन और स्थानीय प्रसंस्करण लागत पहले ही मार्जिन पर दबाव डाल सकती है, यह अंतर अनुबंध की कीमतों और आपूर्ति संबंधी फैसलों को प्रभावित कर सकता है।

उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि प्रभावित सभी खेपों को सीमा शुल्क से मंजूरी मिल चुकी है या हर खेप पर अंततः कितना शुल्क लगाया गया। इसमें शामिल खेपों के मूल्य, समीक्षा के दायरे में आई व्हिस्की की मात्रा या निर्यात में महीने-दर-महीने अथवा साल-दर-साल बदलाव के सत्यापित आंकड़े भी नहीं दिए गए हैं। विवाद का मुख्य संकेतक शुल्क दर और तरजीही व्यवहार पाने की शर्तें हैं, न कि बिक्री का प्रदर्शन।

यह मामला अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक व्यापक समस्या को भी रेखांकित करता है। किसी व्यापार व्यवस्था के तहत तरजीही बाजार पहुंच अक्सर तकनीकी सीमा शुल्क फैसलों पर निर्भर करती है, जिनमें टैरिफ शीर्षक, उत्पाद विवरण और दस्तावेजों का अनुपालन शामिल हैं। ये सवाल सीमित दायरे के लग सकते हैं, लेकिन इनके बड़े वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। इस मामले में विवाद यूनाइटेड किंगडम से भारत को स्कॉच व्हिस्की के निर्यात का है। भारत प्रीमियम स्पिरिट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकासशील बाजारों में से एक है और वहां आयात शुल्क लंबे समय से बड़ी बाधा रहे हैं।

Whisky Clan की समीक्षा ने सरकारों की बताई गई शुल्क व्यवस्था और सीमा शुल्क कार्रवाई से पुष्ट हुई बातों के बीच स्पष्ट अंतर किया। मौजूदा विवाद को समझने के लिए यह अंतर केंद्रीय महत्व रखता है। सरकारी दिशानिर्देशों में दर्ज यू.के. का आधिकारिक रुख पात्र व्हिस्की के लिए कम शुल्क की राह बताता है। अनसुलझा सवाल यह है कि क्या कुछ थोक खेपों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे उन्हें इस कम दर का लाभ नहीं मिल पा रहा।

निर्यातकों, आयातकों और वितरकों के लिए यह अनिश्चितता महज कानूनी तकनीकी मुद्दे तक सीमित नहीं है। विवादित वर्गीकरण से सीमा शुल्क मंजूरी में देरी हो सकती है, अनुबंध जटिल हो सकते हैं और आयात की कुल लागत का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है। जब तक पुष्ट मामलों में सीमा शुल्क के व्यवहार को स्पष्ट नहीं किया जाता, भारत को स्कॉच

व्हिस्की भेजने वाली कंपनियों को इस जोखिम को ध्यान में रखकर योजना बनानी पड़ सकती है कि 75% शुल्क पर आने की उम्मीद वाली खेप पर 150% शुल्क लगाया जा सकता है।